निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
25/2017	11.7.2017	13.12.19

1. हंसराज पुत्र बदरी, कुम्हार, ढाणी तालवृक्ष जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
2. मन्नू पुत्र बदरी, कुम्हार, ढाणी तालवृक्ष जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
3. पॉची बेबा बदरी, कुम्हार, ढाणी तालवृक्ष जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
4. रमेशी पुत्री बदरी, कुम्हार, ढाणी तालवृक्ष जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी

——प्रार्थीगण

बनाम

1. रामकल्याण पुत्र गिर्राज, गुर्जर, ढाणी तालवृक्ष, जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
2. राजू पुत्र रामकल्याण, गुर्जर, ढाणी तालवृक्ष, जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
3. गजानंद पुत्र गिर्राज, गुर्जर, ढाणी तालवृक्ष, जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
4. रामनिवास पुत्र गिर्राज, गुर्जर, ढाणी तालवृक्ष, जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
5. श्योदान पुत्र सुरज्या, गुर्जर, ढाणी तालवृक्ष, जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
6. सुरज्या पुत्र रामचन्द्र, गुर्जर, ढाणी तालवृक्ष, जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
7. मनराज पुत्र लड्डू, गुर्जर, ढाणी तालवृक्ष, जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
8. जगदीश पुत्र मीठ्या, गुर्जर, ढाणी तालवृक्ष, जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
9. चंदन पत्नी गजानंद, गुर्जर, ढाणी तालवृक्ष, जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
10. मूडी पत्नी रामनिवास, गुर्जर, ढाणी तालवृक्ष, जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
11. जसोदा पत्नी जगदीश, गुर्जर, ढाणी तालवृक्ष, जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
12. फूमली पत्नी रामकल्याण, गुर्जर, ढाणी तालवृक्ष, जैतपुर तह0 गंगापुर
13. बीना पत्नी राजू, गुर्जर, ढाणी तालवृक्ष, जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी

—अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उपस्थित :— श्री शिवचरण शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से

श्री प्रेमप्रकाश जोशी, एड. अप्रार्थीगण की ओर से

श्री तरूण शर्मा, एड. अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि उनके कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि ख0न0 130 रकबा 0.86 है0, ख0न0 131 रकबा 0.25 है0 कुल रकबा 1.11 है0 ग्राम जैतपुर मे स्थित है। इस भूमि से किसी अन्य का कोई वास्ता नही है। इस भूमि की सीमाओ पर पुरानी डौलमेड लगी हुई है। गैरसायलान झगडालू, प्रभावशाली, दबंग व्यक्ति है जो प्रार्थीगण की जमीन पर अवैध रूप से लठ्ठ के जोर पर कब्जा करना चाहते है। प्रार्थीगण की भूमि के उत्तर मे पशुओ की चराई हेतु सार्वजनिक चारागाह भूमि है जिसके आड मे अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

करना चाहते है। दिनांक 3.7.17 को सुबह सात बजे प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त भूमि पर जोत लगवाने एवं बाजरा बोने के लिए गये तो अप्रार्थीगण वहॉ पर आ गये एवं प्रार्थीगण की भूमि की पुरानी डौलमेड को फैलाने लगे। प्रार्थीगण ने मना किया तो नाराज हो गये एवं मारपीट पर आमादा हो गये तथा धमकी दी की वे प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल करके रहेगें व काश्त नही करने देगें। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वे ताफैसला दावा प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित भूमि के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त मे प्रार्थीगण को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे, पुरानी डौल मेड को नही तोडें एवं भूमि के कब्जे से प्रार्थीगण को बेदखल नही करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थीगण ने अपने जबाब में अंकित किया है कि प्रार्थीगण का विवादित भूमि पर कभी कब्जा नही रहा है। इसलिए पुरानी डौलमेड होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि विवादित भूमि के उत्तर मे सार्वजनिक चारागाह भूमि पशुओं की चराई के लिए है, बल्कि उत्तर मे अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 5, की खातेदारी भूमि है जिस पर वे काबिज काश्त है। प्रार्थीगण ने गलत तथ्यो पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण की भूमि कृषि आधारित नही है ना ही प्रार्थीगण ने भूमि पर कभी काश्त की है। जबाब के विशेष विवरण मे अंकित किया है कि प्रार्थीगण झगडालू व मुकदमे बाज व्यक्ति है, जिनकी नीयत अप्रार्थीगण की भूमि हडपने की है। दिनांक 9.7.17 को प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 5 व लड्डू पुत्र रामचन्द्र गुर्जर को भूमि से बेदखल करने, झूठे मुकदमे मे फॅसाने, विवादित भूमि के सहारे एक बीघा भूमि खाली करने की धमकी दी। जिस पर जबाबदारान ने प्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण अपनी भूमि को पूर्व मे ही दीगर व्यक्तियो को विक्रय कर स्टाम्प पर लिखापढी कर भूमि का कब्जा संभला चुके है और अब उनका भूमि पर कोई कब्जा नही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करनाया जावें।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थीगण ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073, फोटोकोपी नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किए हैं।

अप्रार्थीगण की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि पर काश्त करने मे उन्हे बाधा पहुचाते है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि को हडपना चाहते है। इसलिए उन्हे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें।

अप्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपनी बहस मे कहा कि प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नही है। प्रार्थीगण भूमि को स्टाम्प पर विक्रय कर भूमि का कब्जा दीगर लोगो को संभला चुके है जिनको प्रार्थीगण ने पक्षकार ही नही बनाया है। कब्जे के अभाव मे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। फोटोकॉपी नकल जमाबंदी संवत 2070—73 के अनुसार वादग्रस्त भूमि ख0नं0 130 व 131 ग्राम जैतपुर प्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज है। अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा नही होने की बात कही है परन्तु अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा नही होना प्रमाणित होता हो। चूकि प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। इसलिए भूमि पर प्रार्थीगण का ही कब्जा माना जावेगा। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है। फलस्वरूप प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पांबद किया जाता है कि वे मूल वाद के निर्णय तक भूमि ख0न0 130 रकबा 0.86 है0 व ख0न0 131 रकबा 0.25 है0 कुल रकबा 1.11 है0 स्थित ग्राम जैतपुर के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग मे प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 13.12.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2019.12.23 12:40:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: